मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांकः एफ 8 /2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अन्तर्गत विकल्प के चयन की तिथि में वृद्धि करने के संबंध में ।

******

वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 8-2009-नियम-चार दिनांक 28 फरवरी 2009 द्वारा राज्य शासन के समस्त शासकीय सेवकों के लिये मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 लागू किए गए हैं। इन नियमों के अनुक्रम में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-8/2009 /नियम/चार, दिनांक 23 मार्च 2009 द्वारा दिनांक 01.01.2006 एवं इस आदेश के जारी होने के मध्य पदोन्नत/क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को 3 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करना था। मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम-6(4) के अनुसार एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना गया है।

2/ कुछ विभागों द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में पुनरीक्षित वेतनमान के लिए किन्ही कारणों से विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सके हैं । अतः इस संबंध में शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों को पुनः विकल्प देने की सुविधा दी जावे। इस सुविधा के तहत पुनरीक्षित विकल्प दिनांक 30-6-2011 तक संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस तिथि के पश्चात प्राप्त पुनरीक्षित विकल्प मान्य नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अश्विनी कुमार राय)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/Niyam/Paripatra/2011

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 8 /2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 01 अप्रेल, 2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के. सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/Niyam/Paripatra/2011